

संशोधित स्मृति - पत्र

- 1- संस्था का नाम : आयुतोष शिक्षा एवं सेवा संस्थान।
 2- संस्था का पूर्ण पता : 15-H कैंलाराकुंज, दाउदपुर
 चारुचन्द्रपुरी कालोनी के पीछे
 गोरखपुर।
 2क शाखा कार्यालय : बोंसगाँव, गोरखपुर।
 3- संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
 4- संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(1) शिक्षा सम्बन्धी कार्य :-

(क) बालक व बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं बौद्धिक विकास के लिये प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय स्तर तक के नये - नये विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना जिससे प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैनेजमेन्ट की शिक्षा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करना। पिछड़ी क्षेत्रों के विकसित विद्यालयों के प्रगति के लिए प्रयास करना। संगीत शिक्षा की व्यवस्था करना।



(ख) बालक एवं बालिकाओं के लिए बालगृह, बाल विकास केन्द्र, बाल कल्याण केन्द्र, छात्रावास आदि खोलकर संचालन करना।

कम्प्यूटर शिक्षा :

बालक एवं बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना समाज-के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुरूचित जाति एवं अनुरूचित जन जाति बच्चों के उत्थान हेतु नि:शुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना।

(3) साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं अंगनवाड़ी कार्यक्रम: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरुष एवं महिलाओं तथा बालक-बालिकाओं को साक्षर बनाना तथा निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे निर्धन तथा बेरोजगार व्यक्ति अपने कुटीर उद्योग धंधे स्वयं स्थापित कर सकें। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग देना तथा प्रचार - प्रसार करना।

4- पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना :-

व्यक्तियों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थापना तथा संचालन करना।

Ram Kanaujia
 Sumita Singh
 आयुतोष सेवा संस्थान

आयुतोष सेवा संस्थान
 राष्ट्रीय साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा
 कार्यक्रम के अंतर्गत

5-आवासीय योजनाओं का निगमन एवं संचालन :-

समाज के अधिक उम्र के व्यक्तियों तथा निर्वल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास/ भूखण्ड की सुविधा उपलब्ध कराना ।

6-सांघाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासार्थ कार्य :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा समाज के निर्धन व्यक्तियों के सांघाजिक, सांस्कृतिक उत्थान में सहायक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं बनाना एवं विभिन्न संचालन करना । समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, पत्र पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना । महिला सम्मेलन, बाल सम्मेलन, बाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन करना । जनता के लिए सांघाजिक, सांस्कृतिक, सर्वांगिक, आर्थिक मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

7-विकलांगों के सहायताार्थ कार्य :-

विकलांगों को स्वावलम्बी बनाने में उनकी मदद करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों, ट्राई साइकिल, श्रवणयन्त्र आदि को निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए उन्हें रोजगार के विभिन्न कार्यों में लगाना जिससे वे अपनी जीविका स्वयं चला सकें । विकलांग बच्चों के लिए उन्हें समुचित शिक्षा देने हेतु आवासीय विकलांग विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र बनाना तथा व्यवस्था करना तथा राज्यसरकार, भारतसरकार के सहयोग से कार्यक्रमों को संचालित करना । मंद बुद्धि बाल विद्यालय की स्थापना करना ।

8-महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य, प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम :-

(क)-महिलाओं एवं बालिकाओं को कम्प्यूटर, रेडियो, टीवी, सिटाय, कपड़ा, कुनाई, कैंची, डिजाइनिंग, टाइपिंग, शार्ट हैंड, पापड़ उद्योग, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार मुरब्जा आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आम निर्भर तथा बेरोजगार महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाना तथा योजनाओं का संचालन करना ।

(ख)-जरूरतमन्द बेरोजगार गिराविल, असहाय, निर्धन तथा अत्याचार के शिकार महिलाओं व बालिकाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, चिकित्सा हास्पिटल, सुधारगृह, जागरूकता शिविर, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र तथा समुचित सांघाजिक, आर्थिक कार्यक्रम चलायन ।

9-परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम :-

(क)-परिवार एवं बाल कल्याण कार्यक्रम को ग्रामों में व्यापक स्तर पर संचालित करना, बच्चों के टीकाकरण के लिए सहयोग प्रदान करना तथा महागरी के समय में जनता की मदद करना । मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की भिन्नता स्वास्थ सम्बन्धी कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन करना । कैंसर, टीबी कुष्ठ रोग आदि बीमारियों के रोकथाम हेतु यथा सम्भव प्रयास करना ।

(ख)-रेडक्रास सोसाइटी की योजना में कन्या से कन्या मिलाकर जनसाधारण की सहायता करना । धनीर्ष चिकित्सालयों का निगमन करना ।

(ग)-निःशुल्क रक्तदान शिविर तथा दृष्टिहीनता को दूर करने हेतु निःशुल्क नेत्र ज्योति शिविरों का आयोजन करना तथा जनसाधारण को हर तरह से सुविधा पहुँचाना ।



Sanita Singh
30/11/2020

सुप्रिय रविशंकर
सर्व सोसाइटीय तथा निर
30/11/2020

10-मद्य निषेध तथा सु-आपूर्त कार्यक्रम :-

समाज में व्याप्त सु-आपूर्त, उद्वेग निषेध तथा जाति धर्म की विषयता को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम बनाना। मादक पदार्थों का नशा करने वालों की सत सुझाने के लिए सरकार को सहयोग करना। गोष्ठी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरण करना। मद्य एवं मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की सत सुझाने के लिए शिक्षितशक्तियों की मदद से धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण करना। नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था करना। गलीन नस्तियों की सफाई की व्यवस्था करना।

11-पर्यावरण व वृक्षारोपण कार्यक्रम :-

(क)-पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नदियों में गन्दे नालों के पानी एवं कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना।

(ख)-पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु विचार गोष्ठी, सत्रों, पर्यावरण यात्रा आदि कार्यक्रम आयोजित करना। पृथ, जैविकीय तकनीकियों को प्रोत्साहित कर सत्र पर सुलभ करना जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके।

(ग)-पौलीथीन के दुष्प्रभाव से लोगों को अवगत कराते हुए पौलीथीन के प्रयोग को प्रतिबन्धित हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर व्यापक प्रचार प्रसार करना। लोगों को बढ़ावा :-

छात्र एवं छात्राओं के लिए स्पोर्ट्स विद्यालय या महाविद्यालय खेलने का प्रयास करना। सभी प्रकार के खेलों को प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना तथा संस्था के माध्यम से खेलने के मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण करना तथा खेल प्रतियोगिताओं का सज्ज एवं जिला स्तर पर आयोजन करना। खिलाड़ियों के मनोबल को ऊँचा उठाने के लिए पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना।

13-खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम :-

गाँवी विचार के अन्तर्गत पर खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित सभी किन्तम के उद्योगों का संचालन करना, रक्षणार्थक कार्य की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, खादी बोर्ड सहजगठन से नियमानुसार सभी प्रकार की आर्थिक सहायता, अनुदान प्राप्त कर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना तथा नियमित रूप से संस्था के माध्यम से कार्य संचालित करना तथा इनसे लाभ धनराशियों को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।

14-भाषाओं का विकास, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, तथा बाल विकास कार्यक्रम :-

(क)-हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार प्रसार करना।

(ख)-दहेज प्रथा, अन्य विरवात एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।



Ram Kishan Singh

U.P.

Sunita Singh

अभिज्ञान

सहायक सचिव
समाज कल्याण विभाग
लखनऊ

(ग)-बाल विकास व बाल भिक्षिता हेतु युनिलेफ तथा अन्य सरकारी व सरकारी व सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना तथा विभिन्न लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।

15-विश्व शान्ति, मानवता व मानवाधिकार कार्यक्रम :-

महात्मा बुद्ध के सिद्धान्तों पर चलते हुए जन मानस के बीच शान्ति, अहिंसा, भाईचारा सर्वधर्म एकता तथा देश की अखण्डता के प्रति जनता को जागरूक करना । विश्व शान्ति व मानवता के लिए मानवाधिकार संगठन को सहयोग देना तथा कन्वा से कन्वा मिलाकर उसके साथ कार्य करना ।

16-छात्रावास व धर्मशाला का निर्माण :-

निधन तथा कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करना व उनकी व्यवस्था का संचालन करना । देश -विदेश से आये विद्यार्थियों, वीर्य शिशुओं, व्यापारियों व किसानों को ठहराने हेतु धर्मशाला का निर्माण करना व उसकी व्यवस्था का निःशुल्क संचालन करना ।

17-कृषि विकास, कृषक उत्पादन व पशुपालन कार्यक्रम :-

कृषि विकास सागवानी, फल संरक्षण तथा कृषकों हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना व विशेषज्ञों के आधुनिकतम शोध को कृषकों तक पहुंचाना । पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम पालन से सम्बन्धित सारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना तथा इनमें फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु समय पर टीकाकरण तथा विधिवत् सुविधा की जानकारी देना व सरकारी तथा अ-सरकारी संगठनों के माध्यम से सहयोग दिलवाते हुए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करना । भूमि सुधार हेतु कार्य करना तथा ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना ।

18-प्राकृतिक आपदा :-

बाढ़, आगजनी, भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग आदि दैविक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता करना तथा उनके पुर्नवास एव जीवन यापन के लिए सहयोग करना तथा विभिन्न प्रकार की महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ कन्वा से कन्वा मिलाकर जन सज्जकरण की हर तरह से सेवा करना तथा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने में सहयोग करना ।

19-हस्त कला सम्बन्धित कार्य :-

हस्त कला के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं व बालिकाओं को हस्त कला का प्रशिक्षण देना तथा हस्तकला से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना ।

20-जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम :-

संयुक्त राष्ट्र संगठन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करते हुए जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में व्यक्तियों को जागरूक करना ।



Ran...
 Semita...
 अमित रजिस्ट्रार

(Signature)
 सहायक रजिस्ट्रार
 कार्य मोहादीय तथा पिट
 का 30 नोरखुर

21-जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य :-

- (क)-जीव जन्तुओं के संरक्षण हेतु कार्य करना तथा उनके लिए वन विहार की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।
- (ख)-गो सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना ।
- (ग)-जीव जन्तु हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना ।
- (घ)-जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना जिससे जीव-जन्तुओं की रक्षा हो सके ।
- (ङ)-जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ।
- (च)-जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण व. बदलना जिससे लोगों के अन्दर जीव-जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा हो ।
- (छ)-जीव जन्तुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों को नष्ट होने से बचना तथा उनको क्षति पहुँचाने वालों से बचना जिससे उनके प्रजनन तथा सृजन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो ।
- (ज)-वन्य जीवों के कल्याणार्थ कार्य करना तथा उनके अभयारणों के क्षति को दूर करना तथा उनको क्षति पहुँचाने वालों को सरकारी नियमों के अधीन दण्डित करने की कार्यवाही करना ।
- (झ)-साधारण पशुओं, कुत्तों, बिल्लियों, मीलगाय आदि को समुचित संरक्षण प्रदान करना तथा साधार, बीमार जीव-जन्तुओं के दवा आदि का प्रबन्ध कर स्वस्थ होने पर उन्हें प्राकृतिक रूप से जीवित कर के लिए यथावत प्रबन्ध करना ।
- (ट)-जीव जन्तुओं के दवा आदि के लिए नि:शुल्क असमतास आदि की व्यवस्था करना ।
- (ड)-जगह-जगह पर जनसाधारण के सहयोग से पशुओं जैसे निराश्रित गाय, बैल, गैस-गैसा, गदहा, कुत्ता, बिल्लियों के निवास स्थल का निर्माण करना जिससे साधारण व असहाय पशुओं को रखा जा सके तथा उन्हें समुचित रूप से दवा आदि का प्रबन्ध हो सके ।
- (ण)-सरकार/जनसाधारण के सहयोग से बढ़ती मांसाहार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करना तथा बड़ी क्रूरता की दृष्टिकोण में बदलाव हेतु साकार प्रयास करना ।
- (त)-जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ विचार पैदा करन हेतु जगह-जगह पर गोष्ठियों का आयोजन करना ।
- (थ)-पशुओं द्वारा कुत्ता, बिल्ली, सिंघार, बंदर आदि के काटने पर प्रतिरोधक दवा का प्रयोग करना ।
- (द)-जीव-जन्तुओं के निवास हेतु सरकार से भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना तथा जानवरों की प्राकृतिक रूप से पारंपरिक का प्रबन्ध करना ।



San 64
U
Sumita Singh
अभिज्ञत यमल

(द)-जीव-जन्तुओं परशुओं के प्रति किए गये अत्याचारों के लिए न्यायालयों में वादों की पैरवी करना तथा उनको दण्डित कराने में सरकार को सहायता प्रदान करना ।

(न)-जीव जन्तुओं के प्रजनन केन्द्रों को नष्ट करने वालों के प्रति कार्यवाही करना तथा कष्ट करने वालों को दण्डित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना ।

(प)-गोवंश के समृद्धि के सभी प्रकार के प्रयास करना तथा जनसाधारण के उत्साहवाक्य हेतु परशुओं, जीव-जन्तुओं के मेलों का आयोजन करना ।

(फ)-प्रतिबन्धित परशुओं की अवैध हत्या तथा पर्यावरण मित्र परशु पक्षियों के सम्यक संरक्षण का उपाय सामाजिक, प्रशासनिक शासन स्तर से तालमेल बैठकाकर करना ।

(य)-सभी शौचालयों का जीर्णोद्धार व आवश्यकता होने पर नई गोशाला का निर्माण करना तथा सरकार की श्वेत क्रांति में पूरा सार्थक सहयोग करना ।

(भ)-परशुओं का घास समस्याओं के समाधान हेतु धान की नई अनुसंधान, नई प्रजातियों या सर्वमान प्रजातियों में अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों पर अनुसंधान ।

(म)-जीव-जन्तुओं के सभी समस्याओं के समाधान हेतु गन्ना की ऐसी प्रजातियों एवं पैदावार की तकनीक विकसित करने, गन्ना कृषक के स्तर के सर्वांगीण विकास एवं ऊसर भूमि सुधार करना ।

(म)-उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन, धान, गेहूँ एवं अन्य फसलों के क्षेत्र में नई एवं पुरानी तकनीक विकसित करने, गन्ना कृषकों के स्तर को ऊँचा उठाना तथा कृषकों अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने एवं विकसित विधियों की खोज एवं जैवरी विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना ।

अन्य कार्य :-

(क)-विज्ञान व प्रौद्योगिक पर आधारित केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यक्रमों को संस्था के माध्यम से संचालित करना ।

(ख)-शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित शौचालय, मुत्रालय, स्नानघर, इण्डिया मार्क हैन्डपम्प आदि की व्यवस्था कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करते हुए जगह-जगह सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखना ।

(ग)-पुषकों व युवतियों में समाज सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा, सदाचार, कार्यवा परायणता, आत्म विश्वास स्वावलम्बन तथा भाई धारे की भावना जागृत करना ।

(घ)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीनों, मजदूरों एवं ग्रामीण हस्ताकारों को स्वतः रोजगार कराने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना ।

(ङ)-संस्था द्वारा शाखा कार्यालय, उपकार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत वर्ष के किसी भी भाग या शहर में खोलकर उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जायेगा ।

सहायक रावबल्लभ
कार्य कोषाध्यक्ष तथा निदेश
कोषाध्यक्ष

San Ram Singh

U.S.

San

3/1/2017



- व) अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं, बालिकाओं, युवकों को भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से विद्यालयों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था कर उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

23) सड़क सुरक्षा हेतु कार्यक्रम :-

सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात के नियमों का पालन कराने हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके तथा इससे सम्बन्धित जनोपयोगी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

24) 1- बेसिक व उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन एवं शिक्षा का प्रचार व प्रसार।

2- शिक्षा के विकास हेतु स्कूल, पाठशाला तथा कालेज स्थापित करना एवं उनका प्रबन्ध करना।

3- विधवाओं के प्रोत्साहन एवं सहायता हेतु छत्रवृत्तियां देना और अन्य प्रकार की सहायता देना।

4- अनाथ तथा विराधित बच्चों के निःशुल्क निवास, भोजन एवं शिक्षा प्रबन्ध हेतु अनाथालय या अन्य प्रकार की सहायता।

5- प्रौढ़ शिक्षा एवं अवपढ़ स्त्रियों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना।

6- अन्य शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण संस्था को सहायता हेतु तबन्दा देना।

7- गाँव, नगर तथा कस्बों में आवश्यकतानुसार पेयजल की सुविधा के लिए हैंडपम्प, प्याऊं यूस या अन्य प्रकार की व्यवस्था करना।

8- विराधितों, अपंग तथा अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों की सहायता और पुर्नवास की व्यवस्था करना।

9- धर्मशाला इत्यादि का निर्माण तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था करना।

10- अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन तथा सहायता देना।

11- भूमि सुधार हेतु कार्य करना तथा ऊत्तर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना। क्रेडिट, विस्तार एवं प्रशिक्षण, भूमि विस्तार, परती भूमि विकास, जल संचय प्रबन्ध संबंधी समस्त कार्यों को करना।

25) महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य, प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम :-

क) महिलाओं व बालिकाओं को कम्प्यूटर, रेडियों, टीवी, शिलाई, कढ़ाई, सुआई, फैशन डिजाइनिंग, टाइपिंग, इत्यादि हेतु पाठशाला

(Handwritten Signature)
 सचिव, कोटा जिला
 सचिव, कोटा जिला
 कोटा

(Circular Stamp)
 कोटा जिला
 सचिव, कोटा जिला
 कोटा

(Handwritten)
 सुमित सिंह
 राजेश कुमार

उद्योग, अजरबल्ली, भोगबल्ली, अवार, मुख्या तथा फल संरक्षण आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर तथा बेरोजगार महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाना तथा योजनाओं का संचालन करना। स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं में सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास करना एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक प्रयत्न करना। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, अलुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए कार्य करना। राम अस्तुदान, चंदा आदि द्वारा ग्राम विकास के लिए सभी प्रकार के कार्य करना एवं निर्माण कार्य करना।

ख) जरूरतमंद बेरोजगार विसंग्रित, असाहाय, शिथिल तथा अत्याचार के शिकार महिलाओं व बालिकाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, चिकित्सा, हास्टल, सुधार गृह, जागरूकता शिविर, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम चलाना।

26) जागरूकता सम्बन्धी कार्य :-

जागरूकता सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण, अभिवादन तथा सूचना-सामग्री तैयार कर उच्चतर वितरण करना इत्यादि कार्यों से जागरूकता सम्बन्धी कार्यों को करना।

सम्बन्धी कार्य :-

यह सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत कार्य अध्ययन करना तथा सामाजिक पानिकी जैसे कार्यक्रमों को करना।

विकास सम्बन्धी कार्य :-

सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों का संचालन, स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामानों को विपणन हेतु शो-रूम की स्थापना, संचालन, स्वयं सहायता समूहों के ट्रेनिंग संबंधित कार्यों को करना, ग्रामीण स्वरोजगार के अन्तर्गत कार्यक्रमों को करना जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ग्राम सम्बन्धित तथा ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना।

29) शहरी (नगर) विकास सम्बन्धित कार्य :-

नगर विकास के लिए सरकार के द्वारा संचालित समस्त कार्यों को

सहायक सचिव
स्वयं सहायता तथा विपणन
राज्य नगर विकास

lam sand.

lan

Sevita Singh

अभिजात सिंह



संचालित करना, प्रचार-प्रसार करना, प्रशिक्षण संबंधित कार्य करना तथा शहरी नगर विकास से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना।

30) ग्रामीण आवास का निर्माण :-

ग्रामीण आवास के अन्तर्गत कम कीमत के मकानों का निर्माण संबंधित कार्यों को करना, विपणित प्रवर्धन समस्त कार्यों को करना आदि।

31) सूचना विस्तार सम्बन्धित कार्य :-

सूचना विस्तार सम्बन्धित कार्य के अन्तर्गत प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, मीडिया-समर्थन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्यों का संचालन करना इत्यादि।

32) ग्रामीण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य :-

ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यों के अन्तर्गत शोध हेतु व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण प्रौद्योगिकी का शिवालय, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत संबंधित कार्य तथा प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण संबंधित समस्त कार्यों को करना।

33) आय सृजन सम्बन्धित कार्य :-


ग्रामीण महिलाओं को केन्द्र में रखकर आय सृजन हेतु स्वयं सहायता समूह, सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण के मोबाइल संबंधित कार्यों तथा तत्सम्बन्धित समस्त कार्यों को नगर में भी संचालित करना।

34) पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धित कार्य :-

पेयजल के अन्तर्गत जलापूर्ति, परम्परागत जल प्रणाली संबंधित कार्यों तथा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कार्यों को संचालित करना। स्वच्छता के अन्तर्गत शौचालयों (व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक) का निर्माण करना, संचालन करना, स्वच्छता बाजार संबंधित कार्यों को करना।

35) विपणन सम्बन्धित कार्य :-

शहरी तथा ग्रामीण उत्पादों का विपणन कार्य करना, उससे हुई समस्त आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना। शहरी तथा ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए प्रदर्शन एवं मेलों का आयोजन करना आदि।


सहायक सचिव,
सर्वेक्षण विभाग तथा विपणन
कक्षा, नगर विकास



Ramkrishna
Sunita Singh
कविता रंजित

36) पंचायती राज सम्बन्धित कार्य :-

विकेन्द्रीकरण में सरकार को सहयोग देना तथा पंचायती राज के अन्तर्गत ग्रामों का सामूहिक रूप से सफाई इत्यादि के कार्यों को करना तथा पंचायती राज को बढावा देने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता संबंधित समस्त कार्यों का संचालन करना।

37) लोक सहयोग :

लोक सहयोग के अन्तर्गत समस्त कार्यों का संचालन करना।

38) ग्राम सम्पर्क सड़कें :-

ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्राम सम्पर्क मार्गों का निर्माण करना इत्यादि।

39) उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धित कार्य :-

उपभोक्ता संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत उपभोक्ता न्यायालयों के पास उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों, परामर्श केन्द्र आदि की स्थापना कर संचालन करना।

40) अन्य कार्य :-

Ram Rao Jy.
Sunita
शक्ति



1. प्रकृति परायण जीवन शैली के विभिन्न आयामों-सन्तुलित पर्यावरण, समन्वित कृषि, सर्वाशिक्षा, सम्पन्न स्वास्थ्य, वैदिक रचना विकास व स्थानीय तकनीकी ज्ञान आदि के संरक्षण, संवर्धन व विकास हेतु योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना।
2. ग्रामीण स्वावलम्बन जनित विकास हेतु विविध तकनीकी एवं वैज्ञानिक, वैदिक विद्याओं, पर शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, परिचर्चा आदि माध्यमों से क्रियान्वयन करना।
3. जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, जैव तकनीक, देशी बीज, प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण व विकास हेतु कार्य योजना जन-सहभागी एवं समाज उपयोगी विकास का अनुवर्ती प्रवर्धन करना।

महामंत्री राजस्व
सर्वेक्षण विभाग
नई दिल्ली

